म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र/नियमन/CCI/पार्ट/ 3705 भोपाल, दिनांक 17/08/2023

प्रति,

सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला ....(म०प्र०)

विषयः- कपास पर मण्डी फीस दर 1.50 रूपये से घटाकर 0.50 रूपये करने बाबत्।

संदर्भः- म प्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल की अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2023

.....000......

उपरोक्त विषय संदर्भ में म प्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल के द्वारा अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2023 से मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कपास पर मंडी फीस की दर, प्रत्येक रूपये 100/- पर 1.50 रूपये से घटाकर 0.50 रूपयें की गई है। शेष अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस की दरें वही रहेगी। (अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2023 की प्रति संलग्न है)

कपास पर यह मण्डी फीस इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31.03.2024 तक लागू रहेगी। आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न - अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2023 की प्रति।

संयुक्त संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/नियमन/CCI/पार्ट/ 3706 भोपाल, दिनांक 17/08/2023

प्रतिलिपिः-

(1) संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ...(समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(2) सहायक संचालक, (आई.टी. शाखा) म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल। उपरोक्तानुसार कपास पर मंडी फीस की दर को ई-अनुज्ञा पोर्टल पर शीघ्र अद्यतन किया जाएं।

संयुक्त संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2023—श्रावण 20, शक 1945

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्रमांक/AGR/18/0015/2023-Sec-2-14/AGR(P-211723) — मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन,1973) की धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचित कृषि उपज के लिए मंडी फीस को पुनरीक्षित किया है, जो कि अधिसूचना क्रमांक/डी-15-63-18-चौदह-3, दिनांक 06.10.2018 में प्रकाशित किया गया था। अब, राज्य सरकार, एतदद्वारा, कपास पर दरों को प्रत्येक रूपये 100/- पर 1.50 रूपये से घटाकर 0.50 रूपये करती है। शेष अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस की दरें वही रहेंगी।

कपास पर यह मंडी फीस इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31.03.2024 तक लागू रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्रमांक/AGR/18/0015/2023-Sec-2-14/AGR(P-211723) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 11 अगस्त, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 11th August 2023

No./AGR/18/0015/2023-Sec-2-14/AGR(P-211723) – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Madhya Pradesh Agricultural Produce Market Act, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has revised mandi fee which was published in notification No. D-15-63-18-fourteen-3, dated 06.10.2018 for notified agricultural produce. Now, the State Government, hereby, reduces the rates from Rupee 1.50 to Rupee 0.50 on cotton on every Rupees 100/-. The rates of market fee on the remaining notified agricultural produce shall remain same.

This market fee on cotton shall be applicable till 31.03.2024, from the date of publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK BARNWAL, Addl. Chief Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.